A8
1

65
2012 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 65/12

1. बसन्तसिंह
2. हरनेकसिंह

पिसरान श्री इन्द्रसिंह अकवाम मजबीसिख सा0 73 एन पी तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर।
2. पाली पत्नी टोपन राम जाति नायक निवासी 72 एन पी तह0 रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ0 धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम, 1955 विरूद्व आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर दिनांक 2–11–12

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल पूनियॉ, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

आदेश दिनांक : 22–11–16

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस के पिता इन्द्रसिंह चक 73 एन पी तह0 रायसिंहनगर में सन् 1955 से पूर्व के रहने वाले थे। इनके पास इसी चक में मु0 नं0 7 प0 नं0 263/332 कि0 नं0 1 ता 10 की 2.290 है0 बारानी भूमि कब्जे में थी, जो पूर्व में 3–4 साल तक टी0सी0 पर आवंटन होती रही थी। पुख्ता आवंटन के लिए कई प्रार्थना पत्र दिये, जिसकी कार्यवाही विचाराधीन थी। इन्द्रसिंह की मृत्यू के बाद कार्यवाही अपीलांटस कर रहे थे तथा भूमि का कबजा अपीलांटस के पास था। दिनांक 18.07.1992 को राजनैतिक प्रभाव से रकबा अपने नाम से आंवट करवा लिया। उक्त रकबा की सनद दिनांक 30.11.2012 को अपने नाम से करवाकर इंतकाल दर्ज करवा लिया। इंतकाल दर्ज करवाने से पूर्व कानूनी प्रकिय नहीं अपनाई गई और न ही सुनवाई हेतु कोई विधिवत नोटिस जारी किया गया हैं। सारी कार्यवाही एक पक्षीय की गई हैं। इंतकाल नियमों एवं लैण्ड रिकार्डस रूलस की धारा 119 से 126 की पालना नहीं की गई हैं और न ही मौके पर कब्जे की जांच की गई हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश दिनांक 02.11.2012 निरस्त किया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

9.9.16 A9

A8
2

65/2012 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अपील से संबंधित रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपीलांट में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलांटस के पिता चक 73 एन पी तह0 रायसिंहनगर में मु0 नं0 7 प0 नं0 263/332 कि0 नं0 1 ता 10 की 2.290 है0 बारानी भूमि कब्जे में थी, जो पूर्व में 3–4 साल तक टी0सी0 पर आवंटन होती रही थी। पुख्ता आवंटन के लिए कई प्रार्थना पत्र दिये, जिसकी कार्यवाही विचाराधीन थी। इन्द्रसिंह की मृत्यू के बाद कार्यवाही अपीलांटस कर रहे थे तथा भूमि का कब्जा अपीलांटस के पास था। दिनांक 18.07.1992 को राजनैतिक प्रभाव से रकबा रेस्पो0 सं0 2 ने अपने नाम से आंवटन करवा कर सनद दिनांक 30.11.2012 को जारी करवाकर इंतकाल दर्ज करवा लिया। इंतकाल दर्ज करवाने से पूर्व कानूनी प्रकिय नहीं अपनाई गई और न ही सुनवाई हेतु कोई विधिवत नोटिस जारी किया गया हैं। सारी कार्यवाही एक पक्षीय की गई हैं। इंतकाल नियमों एवं लैण्ड रिकार्डस रूल्स की धारा 119 से 126 की पालना नहीं की गई हैं और न ही मौके पर कब्जे की जांच की गई हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश दिनांक 02.11.2012 निरस्त किया जावें।

रेस्पोन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही विधिसम्मत् की गई है। कानूनी प्रावधानों की पालना में अपीलकृत इंतकाल पारित किया गया है। अपीलांटस द्वारा आवंटन आदेश के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष अपील पेश की गई थी, जो खारिज हो गई थी तथा बाद में मा0 राजस्व मण्डल में अपील पेश की गई थी, वह भी खारिज हो गई थी। आवंटन आदेश आदिनांक तक बहाल है। आवंटन आदेश की पालना में अपीलकृत इंतकाल पारित किया गया है। अपील सारहीन है । अतः खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलकृत इंतकाल सं0 249 उप खण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा सनद सं0 2813 दिनांक 30.10.12 व तहसीलदार, रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 2021 दिनांक 31.10.12 के आधार पर प0 हल्का द्वारा खोला गया तथा आर आई द्वारा दिनांक 2–11–12 को मिलान किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2–11–12 को स्वीकृत किया गया है। अपीलांटास के पिता इन्द्रसिंह द्वारा मा. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में पुनरावेदन सं0 508/02 दायर किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 24–8–2000 द्वारा किया जाकर पुनरावेदन अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात् इन्द्रसिंह के विधिक उतराधिकारियों द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 24–8–2000 के विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी सं0 3862/2000 दायर की गई, जिसके निर्णय दिनांक 13–7–12 द्वारा निगरानी सारहीन होने से खारिज कर दी गई तथा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

9.9.16 A9

A8/3

65/2012 - **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)**
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जारी आवंटन आदेश दिनांक 18–7–92 को यथावत् रखा गया है। इस प्रकार, मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का आवंटन आदेश दिनांक 18–7–92 यथावत् रहा है, जिसके आधार पर रेस्पो0 सं0 2 को सनद जारी हुई थी तथा सनद के आधार पर अपीलकृत इंतकाल दर्ज हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलकृत इंतकाल दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 22–11–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/XI/16

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)